

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 199 /2021

- उनवान
1- श्री ओम प्रकाश पुत्र रामकिशन सेन निवासी रघुराजपुरा
2- चन्दू पिता रामकिशन सेन निवासी रघुराजपुरा
3- परमेश्वर पिता रामकिशन सेन निवासी रघुराजपुरा
4- रामकिशन पिता धन्ना नाई निवासी रघुराजपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- धन्ना पिता खाना मीणा निवासी रघुराजपुरा
2- श्रीमति रेखा पत्नी गिरीराज पटवारी महाजन निवासी ढीकोला
3- घीसू पिता चन्द्रा मीणा निवासी रघुराजपुरा
4- मदन पिता जगनाथ मीणा निवासी रघुराजपुरा
5- केलाश पिता उदा माली निवासी रघुराजपुरा
6- गोपाल पिता कल्याण मीणा निवासी रघुराजपुरा
7- बरदा पिता कल्याण मीणा निवासी रघुराजपुरा
8- बालू पिता कल्याण मीणा निवासी रघुराजपुरा
9- मदन पिता कल्याण मीणा निवासी रघुराजपुरा
10- रामप्रासाद पिता कल्याण मीणा निवासी रघुराजपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अविनाश जीनगर
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

:- निर्णय :-

दिनांक- 21/06/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम रघुराजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1310 रकबा 0.29 है0, 1384 रकबा 1.02 है0, 1385/1540 रकबा 0.20 है0 कुल कित्ता 3 रकबा 1.51 हैक्टेयर के खातेदार प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगद्दी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4 व 6 लगायत 10 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 5 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नही चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम रघुराजपुरा 2075 से 2078 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगणों के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगद्दी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रघुराजपुरा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त सहखातेदार की आराजीयात् कित्ता 3 रकबा 1.51 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगद्दी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगद्दी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगद्दी हेतु कमिश्नर फीस 1000 रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगद्दी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21/06/2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा